



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274176
CG-DL-E-06072026-274176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3458]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3458]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

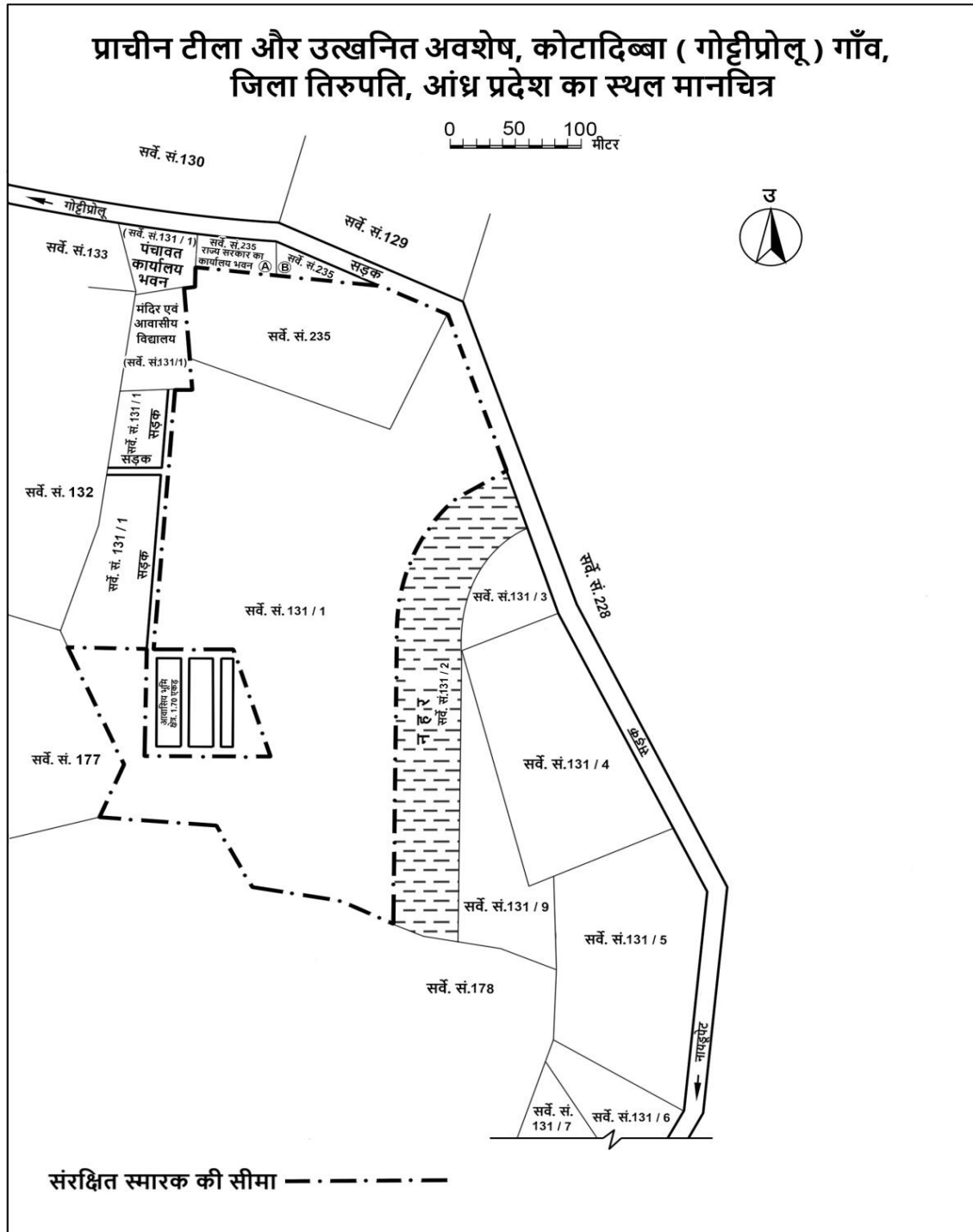
नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3593(अ).— केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड- 3 उप-खंड (ii) दिनांक 30 जनवरी, 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना का.आ. 458 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2026, जिसमें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप धारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की अवधि की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त पुरातत्वीय स्थल के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां दिनांक 30 जनवरी, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करती है।



अनुसूची

क्र.सं	राज्य	जिला	स्थान	पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष का नाम	संरक्षण में शामिल किये गए सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्वामित्व	सीमाएं
1.	आंध्रप्रदेश	तिरुपति	कोटादिब्बा (गोट्टीप्रोलु) गाँव	प्राचीन टीला और उत्खनित अवशेष	235 भाग	4.28 एकड़	सरकारी	उत्तर: राज्य सरकार के कार्यालय भवन (सर्वे संख्या 235) और सड़क दक्षिण: सर्वेक्षण संख्या 178 पूर्व: नहर (सर्वे संख्या 131/2) और सड़क पश्चिम: मंदिर, आवासीय विद्यालय, आवासीय भूखंड और सड़क (सर्वे संख्या 131/1)
					131/1 भाग	19.94 एकड़	सरकारी	
कुल क्षेत्र						24.22 एकड़		

[फा. सं. टी-19012/25/2021-स्मा.]

यदुवीर सिंह रावत, महानिदेशक

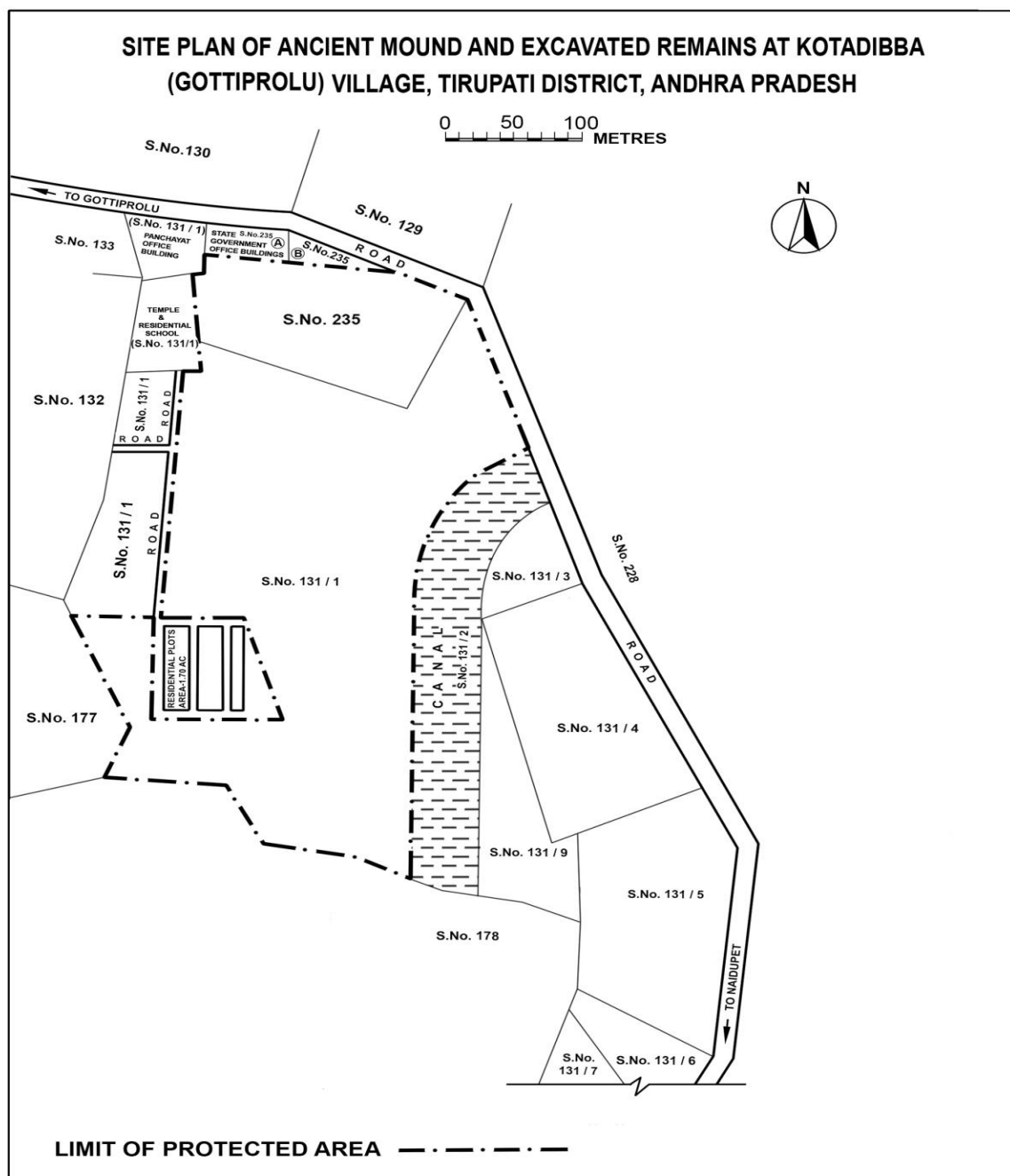
MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2026

S.O. 3593(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India), vide number S.O. 458 (E), dated the 30th January, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th January, 2026, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the archaeological site specified in the Site Plan and the Schedule annexed to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed at a conspicuous place as required under sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th January, 2026;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the said archaeological site specified in the Site Plan and Schedule annexed hereto, to be of national importance.



SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Locality	Name of the Archaeological Site and Remains	Revenue Survey numbers included under protection	Area (in Acre)	Ownership	Boundaries
1.	Andhra Pradesh	Tirupati	Kotadibba (Gottiprolu) Village	Ancient Mound and Excavated Remains	235 Part	4.28 Acre	Government	North: State Government office buildings (Survey No. 235) and Road South: Survey No. 178 East: Canal (Survey No. 131/2) and Road West: Temple, residential school, residential plots (Survey No. 131/1) and Road
					131/1 Part	19.94 Acre	Government	
Total						24.22 Acre		
Area								

[F. No. T-19012/25/2021-M]

YADUBIR SINGH RAWAT, Director General